section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from among the Members of the House to be a member of the Central advisory Committee for the National Cadet Corps.

*The question was put and the motion was adopted.*

## PERSONAL EXPLANATION

**रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)**: उपसभापति महोदया, मैं आपसे एक अनुमति चाहता हूं। मुझे एक स्पष्टीकरण देना है। 24 तारीख को मैं यहां पर नहीं था और माननीय राजनाथ सिंह जी ने मुझ पर एक आरोप लगाया था, इस संबंध में मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। उपसभापति महोदया, 24 फरवरी को इस महा सदन में भारतीय जनता पार्टी के श्री राजनाथ सिंह जी ने शून्य काल में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए मुझ पर मिथ्या, निराधार और राजनीति से प्रेरित आरोप लगाया था। मैं उसका स्पष्टीकरण देने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री सिंह ने स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या का उल्लेख करते हुए कहा था "इटावा के रहने वाले एक महानुभाव जो रक्षा मंत्री भी हैं जब भी किसी प्रमुख पद पर बैठते हैं और जब भी वह मुख्य मंत्री बनते हैं तो ये चारों जनपद (इटावा, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, एटा) हिंसा और आतंक के केन्द्र बन जाते हैं और इन चारों जनपदों में दहशत की स्थिति व्याप्त हो जाती है। श्री बह्मदत्त द्विवेदी की जो हत्या हुई है उसे मैं एक राजनीतिक हत्या करार करना चाहता हूं।"

महोदया, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता थे। स्वर्गीय द्विवेदी का पूरा परिवार जानता है कि उनकी हत्या से मुझे गहरा सदमा लगा है। उनकी कायरतापूर्ण हत्या की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। मैं जब उनके घर गया तो उनके भाई श्री सुरेन्द्र द्विवेदी ने तीन पत्र देकर जो भी समस्यायें बताई मैंने तत्काल उत्तर प्रदेश शासन से उस सारी समस्याओं का निराकरण कराया। उनके परिवारजन चाहते थे कि मैं उनकी तेरहवीं में शामिल होऊं और श्री सुरेन्द्र द्विवेदी ने फोन करके भी मुझसे आने का अनुरोध किया था किन्तु मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण वहां नहीं पहुंच सका था।

महोदया, मैं नहीं चाहता था कि इस हत्या को राजनैतिक रंग दिया जाए। मैं चाहता हूं कि श्री द्विवेदी के हत्यारों को ऐसी कठोर सजा मिले जिससे भविष्य में इस तरह की हत्याओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं यह समझता था कि श्री राजनाथ सिंह जी पढ़े-लिखे एवं समझदार नेता हैं और इसलिए उनसे इस तरह के घटिया और बेबुनियाद बयान की आशा नहीं थी। उनके बयान के बाद मुझे 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' की कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है।

महोदया, स्वर्गीय द्विवेदी हत्या काण्ड के एक अभियुक्त से, जब वह मैनपुरी जेल में रासुका में निरूद्ध था, दिनांक 5.6.96 को अपराह्न चार बजकर सोलह मिनट से चार बजकर 38 मिनट तक, श्री राजनाथ सिंह एवं उनके वरिष्ठ साथी मैनपुरी जेल में मिले थे। सदन में कल चर्चा होगी तब सब बातें स्पष्ट हो जायेंगी। महोदया, अफसोस है कि भाजपा के जो नेता स्वर्गीय द्विवेदी की हत्या के अभियुक्तों से जेल में मिलते रहे हैं, वे ही मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। यह सदन स्वयं निष्कर्ष निकाल सकता है। यहां मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी से फरूर्खाबाद जिले की समाजवादी पार्टी के नेताओं के रिश्ते राजनैतिक मतभेद के बावजूद भी अत्यधिक मधुर थे। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। जांच में सारी बात साफ हो जाएगी। लेकिन यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की लीडरशिप श्री द्विवेदी के बढ़ते हुए प्रभाव से अन्दर से शशांकित थी। मुख्यमंत्री पद के दावेदार भाजपा के नेता ...**(व्यवधान)**...

**श्री राजनाथ सिंह** (उत्तर प्रदेश): यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

**श्रीमती रेणुका चौधरी** (आन्ध्र प्रदेश): बोलने दीजिए ...**(व्यवधान)**...

**श्री राजनाथ सिंह:** मैडम, मेरे नाम का बार-बार उल्लेख किया गया है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI K.R. MALKANI (Delhi): Who is he? ...*(Interruptions)*... He cannot talk this to here...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please take your seat.

**श्री अजीत जोगी** (मध्य प्रदेश): उसके बाद आप भी बोलिएगा ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The personal explanation is under rule 241 and he is making it.

THE LEADER OF OPPOSITION (SHRI SIKANDER BAKHT): He has gone beyond that. He is going beyond the parametres.

**श्री मुलायम सिंह यादव:** मुख्य मंत्री पद के दावेदार भाजपा के नेता जिनमें श्री राजनाथ सिंह भी हैं उन्हें अपनी आंख की किरकिरी समझ रहे थे ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: He cannot speake. I am sorry, Mr. Jogi. He cannot speak after that because after personal excplanation nobody will speak. ...*(Interruptions)*...

SHRI AJIT P.K. JOGI: His name has been mentioned there.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, I am sorry. I am presiding over the House. Please read rusle 241 and Kaul and Shakdher—after personal explanation, the matter is closed. ...*(Interruptions)*... I cannot break the rules for anyone. ...*(Interruptions)*...

**श्री सिकन्दर बख्त:** सदर साहिबा, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन में क्या पैरा मीटर्स के बाहर जाया जा सकता है? मेरा सिर्फ इतना सवाल है।

†اکبری سکندر بخت: صدر صاحبہ - میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرسنل ایکسپلینیشن میں کیا پیرا میٹرس کے باہر جایا جا سکتا ہے۔ میرا صرف اتنا سوال ہے۔

THE DEPUTY CHAIRMAN: Sikander Bakht Saheb, just one second.

SHRI V. NARAYANASAMAY (Pondicherry): Can he level any allegation without any proof?

SHRI S.S. AHLUWALIA (Bihar): Madam, rule 241 clearly states, "A member may, with the permission of the Chairman, make a personal expalantion although there is no question before the Council, but in this case no debatable matter may be brought forward..."

THE DEPUTY CHAIRMAN: And no debate would arise. *(Interruptions)*

SHRI S.S. AHLUWALIA): Yes. If any Minister or any Member of this House wants to clarify... *(Interruptions)*... This is the convention of the House, Whenever any Minister or any Member comes with a personal explantion, he never makes any allegation against any other Member. He just clarifies. It does not attract any debate. But, when he mentions the names of others while clarifying his stand, then, the people, whose names have been referred to, should get a right to speak in the House. *(Interruptions)* This is the convention of the House. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. *(Interruptions)* Please sit down. *(Interruptions)*

SHRI S.S. AHLUWALIA: Madam, it has been clearly laid down.*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, the Member concerned cannot answer. But it is the duty of the Chair to see that a Member, when he makes a personal explanation, is coming within the parameters of personal explanation. I would be very thankful if Members will just listen to him again. If there is anything beyond the parameters of personal explanation then I would look into the record. *(Interruptions)* Shri Sikander Bakht saheb, you have competed and please be seated. I have not heard the last sentence. Let me hear.

†Transliteration in Arabic Script

SHRI S.S. AHLUWALIA: Madam, I need your ruling. Tomorrow when some other person comes and seeks to make a personal explanation, what would happen is that we would only be witnessing a ding-dong game in the House. *(Interruptions)* Please clinch the issue today itself.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, you know that many times personal explanations have been given in the House by either side — ruling side and the opposition. But I would say that if a Member or a Minister says anything beyond the parameters, then, it is the duty of the Chair to keep it within that. Let me again hear it first. *(Interruptions)* I would tell you. Please be seated. *(Interruptions)* Let me hear him agains. आप बोलिए। क्योंकि आप लोग एकदम खड़े हो जाते हैं तो मुझे तो सुनाई नहीं देता। द्विवेदी If you sit down, only then my voice will be heard. *(Interruptions)* You cannot hear it otherwise. *(Interruptions)*

**श्री मुलायम सिंह यादव:** यहां मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यू०पी० में कानून और व्यवस्था की स्थिति 1992 में भाजपा सरकार के चलते खराब हो गयी थी। ...**(व्यवधान)**...

**उपसभापति:** आप बैठिए ना। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए ...**(व्यवधान)**...

मंत्री जी देखिए कल यू०पी० पर आपने खुद अपने एक्सप्लेनेशन में, स्पष्टीकरण में कहा कि जब यू०पी० के ऊपर हाउस में डिसकशन होगा तो जो भी बात यू०पी० के बारे में होगी वह उसमें डिसकस होगी। आपके ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं आप बेसक उन आरोपों का जवाब दे दीजिए यह आपका राइट है। पर पहले क्या हुआ वह इस पर्सनल एक्सप्लेनेशन के पैरामीटर में नहीं आता है। क्योंकि आपको अपने बारे में कहना है इसलिए आप जरूर बोलिए, अगर आपके ऊपर आरोप लगे हैं किसी ने आपके ऊपर आरोप लगया है तो you are within your right, Mr. Minister, to give a personal explanation. *(Interruptions)*

**श्री सुन्दर सिंह भंडारी** (राजस्थान): वह तो समाप्त हो गया।

**श्री मुलायम सिंह यादव:** ऐसा है कि इस कानून और व्यवस्था का सहारा लेकर मुझ पर आरोप लगाए गए हैं। चार जिलों का नाम लिया गया। इन चार जिलों में मैं चुनाव लड़ चुका हूं। मैनपुरी से मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं। जनपद फिरोजाबाद से मैं एम०एल०ए० रहा हूं। एटा में निधौलीकलां से मैं एम०एल०ए० का चुनाव जीत चुका हूं और इटावा से आठ बार एम०एल०ए० रहा हूं। ये चारों जिले खास करके — और यहां पार्लियामेंट सीट ऐसी है हमारे इटावा जनपद से डा० लोहिया चुने गए थे। इन चारों जिलों पर कानून व्यवस्था के नाम पर इतने घिनौने आरोप लगे कि इन चारों जिलों के हम लोग जब किसी पद पर पहुंचते हैं तो आतंक होता है, कत्ल होते हैं, डकैती होते है। इस का सहारा लेकर हमारा नाम कई बार लिया गया, रक्षा मंत्री का। इसको बराबर सब लोगों ने सुना लेकिन आप हमारी बात नहीं सुन सकते। महोदया, जो आपका हुक्म होगा, जो आप रूलिंग देंगी यह में मानूंगा। लेकिन एक बात मेरी यह है कि कानून व्यवस्था के सहारे हमारा नाम लिया गया है। लेकिन इस कानून-व्यवस्था को आराजकता की ओर ले जाने के लिए बुरी साजिशें इनकी सरकार ने 1992 में रचीं हैं। ...**(व्यवधान)**...

**उपसभापति:** आप बैठिये ...**(व्यवधान)**...

**श्री वसीम अहमद** (उत्तर प्रदेश): यह लोग तो झूठे इल्जाम के आदी हो गये हैं ...**(व्यवधान)**...

**श्री राजनाथ सिंह:** मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**...

**उपसभापति:** अभी नहीं। राजनाथ सिंह जी अभी आप बैठिये ...**(व्यवधान)**...

**श्री राजनाथ सिंह:** *

**उपसभापति:** अभी आप बैठिये ...**(व्यवधान)**... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*.. I say it again that nothing is going on record.

**श्री राजनाथ सिंह** *

**उपसभापति:** राजनाथ सिंह जी, एक मिनट आप बैठेंगे। **(व्यवधान)** आपके नाम का उल्लेख इसलिए हुआ **(व्यवधान)** आर्डर प्लीज़। आपक नाम का इसलिए जिक्र किया गया क्योंकि आपने वह बात कही थी, इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आपका नाम तो लेंगे। इसलिए कह रहे हैं **(व्यवधान)**

**श्री विष्णु कान्त शास्त्री** (उत्तर प्रदेश): प्वाइंट आफ आर्डर।

**उपसभापति:** कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं निकलता। (व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव:** महोदया,...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Raksha Mantriji, just one minute, please.

**श्री अजीत जोगी:** पहले स्पष्टीकरण सुन लें। यदि कुछ आपत्तिजनक होगा तो बाद में सुधार हो जाएगा। (व्यवधान)

**उपसभापति:** अगर आपके स्पष्टीकरण में मुझे लगा कि कोई जीज़ सही नहीं है तो it will be my responsibility to remove it from the record. (*Interruptions*) I can give this assurance. ...(*Interruptions*)...

**श्री मुलायम सिंह यादव:** मैं सहमत हूं (व्यवधान) अब मैं यह सष्टीकरण कर देना चाहता हूं

**उपसभापति:** अब उनको बोलने दीजिये (व्यवधान)

**श्री राजनाथ सिंह:** मैं चेयर से प्रोटेक्शन चाहता हूं। में ऐसे गम्भीर आरोपों से आहत हुआ हूं। मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं (व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव:** मैं यहां एक भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति 1992 में (व्यवधान)

**श्री राजनाथ सिंह:** मेरे ऊपर आरोप लगाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये (व्यवधान)

**उपसभापति:** एक मिनट, प्रणब मुखर्जी साहब को सुन लें।

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Madam, so far as Rule 241 is concerned, it makes it quite clear that the person against whom an allegation is being made has every right to clarify his position. But, at the same time, it enjoins on the Member concerned that he should not bring any debatable issue. Therefore, my submission to you is that the best course left will be that the Chair when it gives the permission, may demand a written statement which the Member or the Minister is going to make, so that the Chair is in a position to know in advance—the Chair can direct the Member concerned—as to what is necessary in the personal explanation. In this way we can avoid this type of a situation in future. ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, you are in the process of making a personal explanation. ...(*Interruptions*)... It is a personal explanation that you are making here. I would again say that you please mention only that much which is concerned with your personal explanation. The other things which are beyond your personal explanation, please do not mention them. ...(*Interruptions*)... **श्री मुलायम सिंह यादव:** माननीय उपसभापति महोदया, इसलिए में जिक्र कर रहा था। (व्यवधान) सुनने की थोड़ी गम्भीरता रखिये। यह तो जो चाहे बोलते रहते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी उस वक्त सरकार के वरिष्ठ मंत्री थे और उन्होंने कानून और व्यवस्था का सवाल उठाया। निहीं के ज़माने की कानून और व्यवस्था सारा सदन और सारा देश समझे कि इनके ज़माने में क्या होता था (व्यवधान) ठीक है जो आप कहें लेकिन यह शिक्षा मंत्री थे (व्यवधान)

**श्री राजनाथ सिंह:** यह तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं (व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव:** मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। (व्यवधान) मैं कह सकता हूं। अगर कोई आपत्तिजनक आप समझें (व्यवधान)

**उपसभापति:** मैं आपको मशविरा यह दूंगी (व्यवधान) एक मिनट प्लीज़ (व्यवधान)

**श्री मुलायम सिंह यादव:** आप बताएं मैं क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं? (व्यवधान)

**उपसभापति:** मैं आपको मशविरा दूंगी (व्यवधान)

I would like to say that whatever you want to say ...(*Interruptions*)... If anybody wants to say anything about Uttar Pradesh, it can be done tomorrow when there will be a full-fledged discussion on it. 'Law and order', 'now' 'again' 'future', whatever you like you can talk about all of them. But, as far as your personal explanation is concerned, you have very clearly said on the floor of the House to set the record straight that

whatever allegations have been made against you regarding somebody's murder, you are clear, you have not done it.... You had very good relations with him. You are sorry for whatever happened. That's all about it...(*Interruptions*)... And, your name should not have been refered to.

**श्री मुलायम सिंह यादवः** मैडम, आप से सहमत हूं। अब क्योंकि यह उस समय सरकार में थे, इसलिए मैं जिक्र करना चाहता था। आप कहेंगी तो नहीं करेंगे वरना चाहते थे कि इन के जमाने में दो सौ दंगे हुए और अभी एक भी दंगा नहीं हुआ। मैडम, अब मैं एक पत्र पढ़ रहा हूं ...(**व्यवधान**)... माननीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी के छोटे भाई श्री सुरेन्द्रदत्त द्विवेदी हैं। उन के तीन पत्र हैं और यह एक पत्र जो उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से लिखा है, मैं अपने स्पष्टीकरण में उसी को पढ़े दे रहा हूं... (**व्यवधान**)... अब आप को आपत्ति है, अभी नहीं सुनना चाहते ...(**व्यवधान**)...

"आदरणीय, मुलायम सिंह यादव जी, मेरे अग्रज स्वर्गीय ब्रह्म दत्त द्विवेदी, भूतपूर्व ऊर्जा एवं राजस्व मंत्री की जघन्य हत्या पर परिवार में आकर जो मेरे परिवारजनों को ढाढ़स बंधाया, उस के लिए आभारी हूं। आशा करता हूं कि आड़े वक्त में आप हम लोगों की चिंता रखेंगे और भविष्य में भी इसी प्रकार स्नेह बनाए रखेंगे। साथ ही आप से यह भी आग्रह है कि आप राजनीतिज्ञों द्वारा बयानबाजी से विरत रहते हुए हम लोगों का हमेशा ध्यान रखेंगे।"

मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। उन के छोटे भाई हैं वह मुझ से यह कहते हैं और यह भारतीय जनता पार्टी का लेटर-पैड है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the matter is closed.

---

## RE: NEED FOR ALLOCATION OF RS. 200 CRORES TO NATIONAL DISABLED FINANCE DEVELOPMENT CORPORATION

**श्री सुन्दर सिंह भंडारी** (राजस्थान): मैडम, मैं सदन के सामने आप के मार्फत विकलांगों की समस्या पर आप का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आज फिर से विकलांगों के प्रतिनिधि समाज कल्याण मंत्रालय के सामने धरने पर बैठे हैं। उन की यह मांग है कि कानून बन जाने के बाद भी उस में निहित व्यवस्थाओं को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह लोग पहले 3/12/96 को भी जब कि "इंटरनेशनल डे ऑफ डिसएबल्ड" था, उस दिन मंत्रालय पर गए थे और मांग-पत्र दिया था।

मैडम, यह खुशी की बात है कि उन के बारे में एक कानून बन गया और 7 फरवरी, 96 को अधिनियम अधिसूचित भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक उस बारे में कदम नहीं उठाए गए हैं। आज भी देश में 5 करोड़ व्यक्ति विकलांगता से ग्रस्त हैं। मैडम, 400 करोड़ की पूंजीवाले राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास की स्थापना की घोषणा हुई थी और उस में 200 रुपया सरकार की तरफ से सहयोग प्राप्त होने वाला था। अभी पिछले दिनों एक करोड़ रुपए की पूंजी से उस का पंजीकरण हुआ है। अब एक करोड़ की पूंजी से किया क्या इस वित्त निगम का पंजीकरण विकलांगों को सहयोग नहीं दे सकता। वर्ष 1997-98 के बजट में केवल 28 करोड़ रुपया रखा गया है जबकि मांग सौ करोड़ रुपए की थी। मैडम, केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। उस में स्पष्ट प्रावधान है कि 5 सदस्य विकलांगों के प्रतिनिधि के रूप में उस में जाएंगे। लेकिन जो नाम दिए गए हैं, उस में केवल एक व्यक्ति ही विकलांगों का सही प्रतिनिधि है। मुझे ताज्जुब है कि इन विकलांगों के प्रतिनिधियों में सांसद का नाम भी रखा गया है। अब मैं नहीं जानता कि वह सांसद विकलांग हैं और किस तरीके से उन का नाम इस में आया है। ईमानदारी से इस समिति में संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व अलग है। तो इन पांच लोगों को, जो विकलांगों के प्रतिनिधि होने चाहिए थे निजी संस्थाओं के, उनमें एक सांसद को रखना, यह मैं उचित नहीं मानता।

**उपसभापतिः** वह विकलांग तो नहीं हैं? ...(**व्यवधान**)... वह विकलांग है क्या सांसद, मेण्टली या फिजिकली?

**श्री सुन्दर सिंह भंडारीः** वह विकलांग नहीं हैं, यह मेरी जानकारी है। चूंकि वह दूसरे सदन के सदस्य हैं, इसलिए मैं यहां उनका नाम लेना नहीं चाहता।

महोदया, रेलवे के लिए भी यह मांग थी कि रेल के डिब्बों में ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि जो व्हील चेयर से यात्री जाते हैं वह वहां बोर्ड कर सकें और स्टेशनों पर उनके लिए वहां विश्राम स्थल है उनमें भी उनके बाथरूम की अलग व्यवस्था हो। अफसोस है कि इस रेल बजट में उसके लिए कोई मांग नहीं की गई है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि वित्त निगम में 200 करोड़ रुपया सरकार लगाए और इस